::–नियमावली–::

1–संस्था का नामः– शैलेश महाविद्यालय ।

2–संस्था का पताः– ग्राम सवास(शैलेश नगर),पोस्ट सादात,तह0जखनियाँ,जिला–गाजीपुर।

3–संस्था का कार्यक्षेत्रः– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्गः–

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगीः–

अ–आजीवन सदस्यः– वे व्यक्ति जो संस्था को 1000/–एक हजार रूपया नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल–अचल सम्पत्ति एक बार में देंगें,वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगें।

ब–सामान्य सदस्यः– वे व्यक्ति जो संस्था को 51/–रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेगें,वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगें।

स–विशिष्ट सदस्यः– वे समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को सुचारू रूप सेसंचालन के लिये तन,मन एवं धन से पूर्ण रूपेण सहयोग प्रदान करेगें,वे संस्था के प्रबंधसमिति के 2/3 बहुमत से विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर लिये जायेगें।

5–सदस्यता की समाप्तिः– निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

1–किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।

2–किसी सदस्य के पागल या दीवालिया होने पर।

3–किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग पत्र देने पर।

4–किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

5–किसी सदस्य के संस्था के विरूद्ध हानिकारक कार्य करने पर।

6–किसी सदस्य के निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न करने पर।

7–किसी सदस्य के बिना कारण बतायें लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

6–संस्था के अंगः– संस्था के दो अंग होंगें:–

अ–साधारण सभा।

ब–प्रबंधकारिणी समिति।

सत्य प्रतिलिपि